

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1565]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2013/आषाढ़ 14, 1935

No. 1565]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2013/ASHADA 14, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2013

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन के संबंध में

विषय : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए माल के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" को लागू करने की तारीख का बढ़ाया जाना।

का. आ. 2033(अ).—इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दिनांक 20.03.2013 की अधिसूचना फा. सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्यू, वाल्यूम IV में आंशिक संशोधन के क्रम में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ऐसी विनिर्माण यूनितें, जिन्होंने "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" के अनुपालन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए अपने उत्पाद 3 जुलाई, 2013 से पहले प्रस्तुत कर दिए हैं, परन्तु उनकी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, को बिना किसी शुल्क के दिनांक 04.07.2013 से तीन माह की अवधि के विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना के अन्य प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[डीईआईटीवाई की फा. सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्ल्यू, वाल्यूम-IV]

अरुण सचदेवा, वैज्ञानिक 'जी'

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**(Department of Electronics and Information Technology)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2013

**Concerning Implementation of**

“Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012”.

**SUBJECT: Extension in date of coming into effect of the “Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012” for Goods under testing with BIS Recognised Labs**

S.O. 2033(E).—In partial modification of the Notification DeitY F. No. 8(14)/2006-IPHW Vol IV dated 20.03.2013, it is hereby notified that Manufacturing Units which have submitted the products for testing to the BIS recognized labs to comply to the “Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012” before July 3, 2013, but test reports are not available, be granted an extension without any fee for 3 months wef 04.07.2013.

Other provision of the Notification dated 20 March, 2013 would apply as before.

This Notification will come into immediate effect.

[DeitY F.No. 8(14)/2006-IPHW Vol IV]

ARUN SACHDEVA, Scientist 'G'